



२।

संबद्धता की निरक्तरता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2228/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/06/17

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
 RAJEEV GANDHI COLLEGE, E-8, TRILANGA  
 COLONY, SHAHPURA BHOPAL 462039 MADHYA  
 PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सब्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संबोधित पत्र क्रमांक: \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: १०.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरावत आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०ए०० —१००— छत्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अक्षणदेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ट्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विना संबद्धता के किसी भी छत्र का प्रवेश गान्धी नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यालय संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विशेषण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यालय को दी जाएगी तथा उनके विदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विधारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी लंतर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत माना जाएगा।

आदेशानुसार,

2229

पृ०क्रमांक

प्रतिलिपि:-



अकादमी संबद्धता/2017

डॉ. कुलसुम चिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/जोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसचिव, अकादमी



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२३/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
 IINDIRA PRIYADARSHINI COLLEGE,  
 PLOT/KHASARA NO. 291/68/1/1,  
 VILLAGE : PURA CHNDWARA, POST OFFICE : PURA CHINDWARA TEHSIL/TALUKA : HUZUR,  
 TOWN/CITY : BHOPAL, DISTRICT : BHOPAL 462001 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संबोधित पत्र क्रमांक: १३५०४८ दिनांक: १४/५/१५.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ४४६.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अगुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरावृत्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०एड० १०८ छात्र संख्या

शर्तः-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये बियानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आव-स्था य पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- छिन संबद्धता के किसी भी अत्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कथाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके बिंदेशनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत ग्राहार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा नियारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी संस्था की कमी/अवियाप्तिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरुद्ध भावा जाएगा।



पृष्ठ क्रमांक २२३/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग अ.प्र. शासव अंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचबार्य।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

आदेशानुसार,

  
उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

  
सहा-कुलसचिव, अकादमी



संबद्धता की विरतता

सत्र 2017-18

24

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२३२/अकादमी/संबद्धता/२०१७  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

**PRINCIPAL / DIRECTOR,**  
**BHOPAL DEGREE COLLEGE,**  
**393, ASHOK VIHAR, ASHOKA GARDEN,**  
**BHOPAL 462023 MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरतता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १४१०५ दिनांक: ३१/५/१८.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ५९.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरतता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० 100 छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरतता के लिये विदेशी आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५.६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक रार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का विवेचन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की वियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबोधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले जिरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यकारी की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय वे कालेज क्रोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की वियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



पृष्ठ क्रमांक २२३२/अकादमी/संबद्धता/२०१७

लूप-कुलसचिव/अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बलभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के जिजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसचिव, अकादमी



२५

संबद्धता की विरचनता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२३४/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
 INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY,  
 SHA-SHIB COLLEGE OF SCIENCE & MANAGEMENT,  
 NH-12, JAIPUR ROAD, BHOPAL MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

संबद्धता:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १४१३२३ दिनांक: ३१/५/२०१३-

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ३६८.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदल अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०ए० १०० छात्र संख्या

शर्तेः-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-स्थाय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित कर्त्तव्य कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का नियमित आवोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विज्ञा संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मात्रा नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जावे वाले नियीकण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके नियेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति बही की है तथा नियारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर निम्नी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त जाना जाएगा।

२२३५  
प० क्रमांक  
/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रतिलिपि:-

आदेशानुसार,

पू. कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षैत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग भ.प्र. शासन गंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



२६

संबद्धता की निरन्तरता

खंत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२३६ /अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१८

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
BONNIE FOI COLLEGE RUN BY BONNIE FOI CO ED SCHOOL SOCIETY,  
PLOT/KHASARA NO: 154/1, 154/2, 154/10, VILLAGE : NARELA SHANKRI, POST  
OFFICE: AYODHYA NAGAR, TEHSIL : HUZUR, DISTRICT : BHOPAL-462041,  
MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १५४२०५ दिनांक: ३१.५.२०१५।

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ६५।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अबुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० १५० छात्र संख्या

शर्तों:-

१. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
३. महाविद्यालय का आय-काय पत्रक चार्टर एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी बिकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विकरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
६. विज्ञा संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
७. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विशेषण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विवेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिन महाविद्यालय वे कालेज कोड २८ के तहत प्रावार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियंत्रिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त भावा जाएगा।



२२३७  
पृ०क्रमांक  
प्रतिलिपि:-

१. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
२. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
३. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ग.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
४. कुलपति/कुलसचिव के बिजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
५. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

आदेशानुसार,

ब्रून्दकुलसाहेब अकादमी

भोपाल, दिनांक ०८/०६/१७

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

२४

क्रमांक २३२२/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१८

**PRINCIPAL / DIRECTOR,**  
**JOHRI PROFESSIONAL COLLEGE,**  
**INDRAPURI ASHA SHIKSHA SAMITI, C-61, INDRAPURI,**  
**B.H.E.L., BHOPAL, MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संबंधित पत्र क्रमांक: ८३५४४ दिनांक: १५.५.२०१८।

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक:- १०६.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 ने की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरावत् आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०एड० — ५० — छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम क्रं. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी बिकाय की बैंकों का विद्यमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की विद्युक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्रं. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विवा संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश आव्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन गहराविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विद्युक्ति बही की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियंत्रिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

डॉ. कुलसिंह अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१८

पृ० क्रमांक २३२९/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आशुकृत, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, माजस मवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसिंह/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसिंह के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

डॉ. कुलसिंह अकादमी



23

संबद्धता की निरन्तरता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२३८/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ७३/०६/१७

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
TAKSHILA COLLEGE,  
KHASRA NO.430/2/2, 430/2/3, VILLAGE JHIRNIYA, NH-  
12, JAIPUR ROAD, POST PARWALIA SADAK, BHOPAL,  
MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १५१४२२ दिनांक: ३१/५/२०१८-

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ३१.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०ए०० १०० छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश भाव्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २४ के तहत प्रावार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विद्यार्थी समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करवा संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश रुक्त: निरस्त माना जाएगा।



पृ०क्रमांक २२३८/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुङ्ग भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/ओपवीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

आदेशानुसार,

हृषीकेश सिंह अकादमी  
भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७



३५

संबद्धता की निरन्तरता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२५० अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
ANUSHASAN SIKSHA SAMITI,  
JAIHIND D.MAHAVIDYALAYA CAMPUS BY PASS ROAD,  
AYODHYA NAGAR, BHOPAL MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १४४४२५ दिनांक: ३१/५/१८

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: १७७.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० -१०० छत्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २.७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्टर्ड एकाउंट से सत्यापित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विद्या संबद्धता के किसी भी छत्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विशेषण जैसे पाई गई कमियों की सूचना वियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सफाह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय वे कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विधीनिरीत समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा बही किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत भागा जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

प०क्रमांक २२५१ /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-



- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुङ्ग भवन भोपाल।
- कौशिकी संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के जाग्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

✓ सहा.-कुलसचिव, अकादमी



५०

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२५२/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

**PRINCIPAL / DIRECTOR,  
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN,  
TULSI NAGAR BHOPAL 462003 MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १४०३९/ दिनांक: ३१-५-२०१८

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ५३.

महोदय,

विद्या परिषद की स्याई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. वी०एड० १०० छत्र संख्या

शर्तेः-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरतता के लिये विद्यानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ट एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का वियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत करनी होगी।
- दिना संबद्धता के किसी भी छत्र का प्रवेश भाव्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना वियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शापथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज क्रोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी रूपर पर किसी भी प्रकार की कंगी/अवियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत जावा जाएगा।



प० क्रमांक २२५३/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुद्धा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, स्थामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ अवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

आदेशानुसार,

उम-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

सहा-कुलसचिव, अकादमी



61

संबद्धता की विरक्तरता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २१५५ /अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

**PRINCIPAL / DIRECTOR,**  
**GANDHI P.R. COLLEGE, D-1, DANISH NAGHAR,**  
**BHOPAL, MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरक्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १३२८२७ दिनांक: २४-५-२०१५  
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ३२.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अबुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरक्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० —५०— छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरक्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवेशम क्रं. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शारीरिक की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवेशम क्रं. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों ने संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

पृ० क्रमांक २२५५ अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा - कुलसचिव, अकादमी